म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रं. / बोर्ड कार्मिक / ख / अनु.नियु. / 581 / 4880 भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2021

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय, भोपाल, सागर, इंदौर,
उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा (म.प्र.)

विषयः— अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 में शिथिलता प्रदान करने एवं कंडिका 6.5 को विलोपित करने बावत्।

संदर्भः— (1) म.प्र.शासन,सा.प्र.वि.मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्र01049 / 1423 / 2020 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 08 दिसम्बर, 2020

(2) म.प्र.शासन,कि.क.तथा कृ.वि.वि.मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक— 1 / 1 / 0010 / 2020—sec—1—14(AGR) भोपाल, दिनांक 24.11.2020

(3) म.प्र.शासन,सा.प्र.वि.मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप कमांक—सी—3—12 / 2013 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

1 / मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कमांक— 01049 / 1423 / 2020 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 से, अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 में शिथिलता प्रदान करने एवं कंडिका 6.5 को विलोपित करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

2 / शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बावत् मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र कमांक—1 / 1 / 0010 / 2020—sec—1—14(AGR) भोपाल, दिनांक 24.11.2020 के संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का ज्ञाप कमांक—सी—3—12 / 2013 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 की छायाप्रति सहपत्र संलग्न है।

अतः बिन्दु कमांक—01 की संलग्न प्रारूप में जानकारी एवं बिन्दु कमांक—02 पर भविष्य में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु संशोधित आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में आवेदन / जानकारी, आवेदक / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, से प्राप्त कर सत्यापन उपरांत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(प्रबंध संचालक महो.के अनुमोदन से)

26/2/21

संयुक्त संचालक(कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

(117)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक 1049/1423/2020/1/3 भोपाल दिनांक 08 दिसम्बर 2020

प्रति.

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः— अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29/9/2014 में शिथिलता प्रदान करने एवं कडिका 6.5 को विलोपित करने बाबत।

संदर्भः— इस विभाग का परिपत्र कमांक सी—3—12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014

विषयान्तर्गत कृपया इस विभाग के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसकी कंडिका 6.5 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:—

"दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को सहायक ग्रेड—3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किए जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जावेगा। तीन वर्ष में भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगीं।"

2/ उक्त कंडिका में उल्लेखित प्रावधान के तहत विगत **02 वर्षों** में कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है, से संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में कृपया **एक सप्ताह के अन्दर इस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

संलग्न — उपरोक्तानुसार

8/12/2020
(रंजना पाटने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्र

अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जानकारी (01 जनवरी,2018 से दिसम्बर, 2020 की स्थिति में)

क्र.	अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी का नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय का नाम	अनुकंपा नियुक्ति का आदेश कमांक व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	सी.पी.सी.टी उत्तीर्ण है या नहीं (यदि हॉ तो वर्ष अंकित करें)	परिपत्र अनुसार क्या निर्धारित अवसर दिया गया है, यदि हॉ तो अवधि अंकित करें	यदि नहीं तो अद्यतन जानकारी	यदि सेवाएं समाप्त की गई हैं, तो आदेश कमांक व दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(119)

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1/1/0010/2020-Sec-1-14(AGR) भोपाल, दिनांक 24/11/2020

प्रति,

1. संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी/
राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान
म0प्र0 भोपाल।

2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड/म.प्र. राज्य बीज फार्म विकास निगम/
बीज प्रमाणीकरण संस्था/जैविक प्रमाणीकरण संस्थान,
म0प्र0 भोपाल।

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Agri/1392 दि. 26/11/2020
शाखा AD (S)
नि.स. प्रबंध संचालक

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।

उपरोक्त विषयक सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक सी–3–12/2013/1/3 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

24.11.2020
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Headquarter
AD(S)
ADDS 1678 27/11/20
28-11-20

(२६)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 अक्टूबर 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत(म0प्र0)

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29/9/2014

विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन के तहत राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए हैं, में निम्नानुसार संशोधित निर्देश प्रतिस्थापित किए जाते हैं:–

7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न "परिशिष्ट–एक" के स्थान पर "संशोधित परिशिष्ट–एक" प्रतिस्थापित किया जाता है, शेष यथावत्।

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु अंतर्गत

13.7 अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ता पेंशनर है, तो उसके द्वारा "संशोधित परिशिष्ट–एक" में दी गई जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि, वह संबंधित बैंक/ जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्ति आदेश पृष्ठांकित करें, जिसमें उसका पी.पी.ओ., बैक खता क्रमांक तथ मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–12–5/2007/नियम/चार, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के तहत संबंधित को परिवार पेंशन पर राहत देय नहीं करने हेतु सूचित करें।

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3–12/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संशोधित परिशिष्ट- एक

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1 (क) दिवगंत शासकीय सेवक का पूर्ण नाम ....

(ख) पदनाम ....

(ग) दिवगंत शासकीय सेवक की मृत्यु का दिनांक ....

(घ) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवक पदस्थ था, ...

2 (क) आवेदक /आवेदिका का पूर्ण नाम ....

(ख) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध ....

(ग) स्थाई पता ....

(घ) वर्तमान पता ....

(ड) जन्मतिथि..........................अँकों में ....

शब्दों में ....

(च) आयु ....

(छ) धर्म ....

(ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति, /जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये ....

(झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....

* (त) क्या आवेदक फेमिली/परिवार पेंशनर है, यदि हॉ तो ....

स.क्र.	पी.पी.ओ. क्रमांक	जिला कोषालय का नाम, जहां से प्रथम भुगतान हुआ	बैंक का नाम व पता	बैंक खाता क्रमांक
1	2	3	4	5

3 (क) दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमतिः-

स.क.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक के साथ संबंध	यदि सेवारात हो तो उसका विवरण सेवारत है शासकीय/ अर्द्धशासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति /असहमति एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा-पत्र

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता, /करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य / गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मै पूर्ण रूप से जानता /जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त की दी जायगी और इस संबंध में प्रचलित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

(51)

2. मैं यह बचन वचन देता हूँ/देती हूँ कि, मै स्व. श्री .... (दिवंगत शासकीय सेवक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा/करूंगी, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि, मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :- ....

दिनांक :- ....

आवेदक के हस्ताक्षर

//कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण//

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जॉच कर ली गई है।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है।
3. मैं पूर्ण जॉचोंपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आती है। आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना उचित होगा ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)
नाम ....
कार्यालय का नाम

टीप:- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावें :-

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
3. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
5. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडें वर्ग का हो तो तदविषयक प्रमाण पत्र

---

* यह बिन्दु जाडा गया ।